

# आजाद सिपाही



## RESIST!

REDUCING SUBSTANCE INGESTION AND STOPPING TRAFFICKING

मादक पदार्थों पर दोक के लिए पूर्णतः  
संकल्पित झारखण्ड सरकार...



श्री चम्पाई सोरेन  
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

# नहीं को ना



टोल फ्री नं.

**112**(24x7)  
पर कॉल करें

# जिंदगी को छाँ

- शिक्षण संस्थानों से **100 मीटर** की परिधि में तम्बाकू निषेध।
- 18 वर्ष से कम आयु** को मादक/नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं करें।
- मादक/नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री नहीं करनी चाहिए।
- नशीले पदार्थ की खेती नहीं करें।
- कानून में सजा और जुर्माना का प्रावधान।
- नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन या उपयोग के सहभागी नहीं बनें।
- मादक पदार्थ/अफीम की खेती की सूचना टोल फ्री नम्बर 112 पर दीजिये।
- इग्स के कारोबार को दोकने के लिए **प्रशासन का साथ** दीजिये।
- आपके द्वारा दी गयी जानकारी पर **त्वरित कार्रवाई** होगी। आपकी **पहचान गुप्त** रखी जायेगी।

नथा से छुटकारे के लिए तुरंत संपर्क करें

इनपास, राँची

केंद्रीय मनोचिकित्सा  
संस्थान, राँचीअधिकल भारतीय  
आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघरजिला अस्पताल के  
आईसीटीसी/एआरटीसी परामर्श केंद्र





















